**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3736**
**(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति**

**3736. श्री यूसुफ पठान:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या कुछ राज्यों में उक्त योजना की प्रगति बहुत धीमी है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)**

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके और वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 4.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करने का समग्र लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया।दिनांक 04.08.2025 तक, 4.95 करोड़ मकानों के संचयी लक्ष्य में से, 4.12 करोड़ मकान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.85 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.82 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

दिनांक 04.08.2025 तक लक्षित, स्वीकृत और निर्मित संचयी मकानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

योजना के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में राज्य कोषागार से केंद्रीय और राज्य का अंश जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों का विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल हैं।

(ग): पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और उसके समय पर पूरा होने पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। मंत्रालय इस

योजना के तहत आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य पूरा होने की गति बढ़ाने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन

ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषण डैशबोर्ड की शुरुआत।

iii. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मकान की स्वीकृति और निर्माण पूरा करने की सूक्ष्म निगरानी।

iv. माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।

v. उन मकानों के निर्माण पर अधिक ध्यान जिनके लिए निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।

vi. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर निधियां जारी करना।

viii. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

**अनुबंध**

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3736 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लखित अनुबंध

दिनांक 04.08.2025 तक मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

[इकाई संख्या में]

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत संचयी आवास | संचयी निर्मित आवास |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 35,937 | 35,591 | 35,591 |
| 2 | असम | 29,87,868 | 28,83,932 | 20,76,241 |
| 3 | बिहार | 50,12,752 | 49,02,291 | 38,39,417 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 26,42,224 | 23,79,358 | 15,05,131 |
| 5 | गोवा | 257 | 254 | 242 |
| 6 | गुजरात | 9,02,354 | 8,29,323 | 6,00,932 |
| 7 | हरियाणा | 1,06,460 | 74,920 | 41,173 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1,21,502 | 97,536 | 36,998 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 3,36,498 | 3,34,771 | 3,13,759 |
| 10 | झारखंड | 20,12,107 | 19,39,801 | 15,72,351 |
| 11 | केरल | 2,32,916 | 76,230 | 34,379 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 57,74,572 | 49,39,718 | 38,71,800 |
| 13 | महाराष्ट्र | 43,70,829 | 40,99,801 | 13,96,413 |
| 14 | मणिपुर | 1,08,550 | 1,01,549 | 38,039 |
| 15 | मेघालय | 1,88,034 | 1,85,763 | 1,49,886 |
| 16 | मिजोरम | 29,967 | 29,959 | 25,323 |
| 17 | नागालैंड | 48,830 | 48,747 | 36,235 |
| 18 | ओडिशा | 28,49,889 | 28,10,942 | 24,23,791 |
| 19 | पंजाब | 1,03,674 | 76,688 | 41,641 |
| 20 | राजस्थान | 24,97,121 | 24,32,293 | 17,52,093 |
| 21 | सिक्किम | 1,399 | 1,397 | 1,393 |
| 22 | तमिलनाडु | 9,57,825 | 7,43,012 | 6,46,823 |
| 23 | त्रिपुरा | 3,76,913 | 3,76,272 | 3,71,258 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 36,85,704 | 36,56,200 | 36,38,518 |
| 25 | उत्तराखंड | 69,194 | 68,534 | 68,218 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 45,69,423 | 45,69,032 | 34,19,526 |
| 27 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3,424 | 2,593 | 1,302 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 11,364 | 10,935 | 5,064 |
| 29 | लक्षद्वीप | 45 | 53 | 45 |
| 30 | आंध्र प्रदेश | 2,47,114 | 2,46,930 | 88,950 |
| 31 | कर्नाटक | 9,44,140 | 5,17,925 | 1,58,168 |
| 32 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 |
| 33 | लद्दाख | 3,004 | 3,004 | 3,004 |
| **कुल** | | **4,12,31,890** | **3,84,75,354** | **2,81,93,704** |

**नोटः पीएमएवाई**-जी योजना दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं की जा रही है। तेलंगाना राज्य ने योजना की शुरुआत अर्थात दिनांक 1.04.2016 से **पीएमएवाई**-जी को लागू नहीं किया है।

*****